भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2763
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे

2763 **श्री संत बलबीर सिंह:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्यालय छोड़ने अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा इसके लिए किन कारणों को चिह्नित किया गया है;
(ख) ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने निजी विद्यालयों की फीस, कोचिंग, पुस्तकों, वर्दी तथा अन्य शैक्षणिक व्ययों से परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन किया है; और
(घ) प्रत्येक बच्चे के लिए किफायती, सुगम्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं तथा उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) के अनुसार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर अनुलग्नक में है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी वर्ष 2025 के लिए 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, जो छात्र कभी भी स्कूल नहीं गए, उनके प्रमुख कारण घरेलू आय को पूरा करना, घरेलू कामकाज में भाग लेना आदि हैं।

(ख): आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 17 मई, 2020 को पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए। ग्रामीण और शहरी छात्रों सहित देश भर में शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। पीएम ई-विद्या पहल में 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाया जा सके। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक्स (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्ता ई -कंटेन्ट प्रदान करने के लिए राष्ट्र का एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दीक्षा में एक प्रतिभागी के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों (एबी) ने मातृभाषा मूल /स्थानीय /क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री उत्पन्न की है और योगदान दिया है, जिससे बहुभाषावाद को सक्षम किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध ई-सामग्री का विवरण https://diksha.gov.in/data/. पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ अधिगम के सत्र पूरे किए गए हैं। हितधारकों के पास दीक्षा पर 836 से अधिक वर्चुअल लैब्स तक पहुंच है जो उन्हें वास्तविक - दुनिया के प्रयोगशाला वातावरण के प्रतिरूपण में मदद करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों पहुँच में सहयोग करता है, जिससे शिक्षार्थी इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं और अधिगम जारी रख सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों सहित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल को कार्यान्वित करता है। वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार, छठी से बारहवीं कक्षा वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए निधियाँ प्रदान की जाती हैं। स्कूल शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों और स्कूल लीडर्स की व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने के लिए एक समग्र कार्यक्रम, निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) आरंभ किया है। इसे दीक्षा प्लेटफॉर्म पर फेस -टू-फेस, ऑनलाइन और मिश्रित प्रशिक्षण मोड के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

(ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार के स्वामित्व/वित्तपोषित स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसलिए, निजी स्कूलों

द्वारा लिए जाने वाले शुल्क से संबंधित मामले और अन्य संबंधित मामले राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के संदर्भ में विनियमित किए जाते हैं।

तथापि, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के लिए छात्रों के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित छात्रों के लिए प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों की सीमा तक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आरक्षण और ऐसे छात्रों को इसकी समाप्ति तक निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का अधिदेश है। साथ ही, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 में किसी भी कैपिटेशन शुल्क के संग्रह में मनाही है।

(घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से कक्षा 12 तक पूरे दायरे को कवर करते हुए स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ भी अनुकूलित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्रों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारी स्कूलों में स्कूल छोडने की दर को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों, जैसे उच्च माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने, स्कूल अवसंरचना को मजबूत करने, कक्षा 12 तक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय स्कूल/हॉस्टल नामित छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान, मौसमी हॉस्टल/अवसीय शिविर, स्कूलों में कौशल शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और मुफ्त यूनिफ़ोर्म प्रदान करना, परिवहन /एसकार्ट सुविधा, आदि हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

*****

अनुलग्नक

'बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संत बलबीर सिंह द्वारा दिनांक 12/08/2026 को राज्य सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2763 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्कूल छोडने की दर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक					उच्च प्राथमिक				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	1.5	7.8	1.9	0.3	0.3	3.0	8.1	5.2	3.5	3.6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.4	0.0	0.8	0.3	0.0	1.0	1.0	0.4	1.1	0.9
आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	1.6	0.0	1.1	3.7	0.0
अरुणाचल प्रदेश	9.3	15.0	5.4	4.8	3.3	6.7	10.5	6.8	5.1	4.3
असम	6.0	8.5	6.2	3.8	1.4	8.8	10.3	8.2	5.0	4.3
बिहार	0.0	10.7	8.9	2.9	2.5	4.6	15.8	25.9	9.3	9.0
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	0.0
छत्तीसगढ़	0.8	5.4	1.8	0.7	1.1	4.1	6.6	5.3	3.4	4.7
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	1.6	1.9
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	0.8	1.3
गोवा	0.0	0.3	0.8	0.3	0.2	0.0	1.9	1.1	0.8	1.1
गुजरात	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	5.0	5.8	4.2	5.8	4.8
हरियाणा	0.0	1.4	1.2	0.0	0.0	0.2	3.6	4.7	1.7	2.1
हिमाचल प्रदेश	0.0	1.0	0.0	0.0	0.4	0.6	2.0	0.6	0.5	1.3
जम्मू और कश्मीर	4.0	8.9	1.6	1.5	1.1	3.0	4.2	3.2	3.2	2.8
झारखंड	1.8	11.5	0.9	0.0	0.1	3.9	14.5	9.0	1.7	2.5
कर्नाटक	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.1	0.0	2.7	2.1	1.2
केरल	0.0	3.1	0.0	0.8	0.2	0.0	1.9	0.0	0.4	0.1
लद्दाख	6.5	5.1	4.3	2.6	2.2	1.1	2.7	5.8	4.5	3.7
लक्षद्वीप	0.5	4.6	2.3	0.6	1.1	2.6	7.7	3.1	2.3	3.4
मध्य प्रदेश	3.1	6.8	1.0	0.0	0.1	8.8	10.1	6.7	6.3	6.2
महाराष्ट्र	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.8	0.6	0.6	0.0
मणिपुर	13.3	12.9	4.5	2.9	6.4	5.6	8.9	3.5	0.6	1.8
मेघालय	9.8	13.6	7.5	4.2	3.7	10.6	16.4	12.4	7.8	6.5
मिज़ोरम	6.4	14.8	3.5	10.8	1.7	2.7	10.5	5.9	11.6	2.1
नागालैंड	5.0	9.8	4.5	2.8	3.3	4.0	9.0	5.8	4.7	4.2
ओडिशा	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	7.3	3.1	2.0	3.2	2.2
पुदुचेरी	3.7	3.2	1.2	0.0	0.0	2.4	2.2	1.4	0.0	0.0
पंजाब	1.3	3.1	0.1	2.5	0.7	8.0	5.3	2.6	2.7	1.8
राजस्थान	3.6	4.4	7.6	3.6	2.8	4.3	5.7	6.8	3.6	4.6
सिक्किम	1.8	4.5	2.6	1.5	0.2	0.0	2.2	4.9	2.7	1.8
तमिलनाडु	0.0	2.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0
तेलंगाना	0.0	2.1	0.0	0.0	0.5	3.1	5.0	0.0	0.0	1.3
त्रिपुरा	1.1	1.4	0.5	0.0	0.0	4.5	5.9	4.1	3.2	3.2
उत्तर प्रदेश	2.7	18.8	1.7	0.0	0.0	2.9	16.0	3.9	3.0	6.7
उत्तराखंड	0.8	7.4	0.1	0.9	1.9	2.7	5.8	2.3	1.4	3.1
पश्चिम बंगाल	8.6	8.1	0.0	1.4	0.0	0.0	3.4	0.0	3.0	1.1

स्त्रोत: **यूडाइज़+**

अनुलग्नक (जारी)

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्कूल छोडने की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	माध्यमिक				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	12.6	16.4	14.1	11.5	9.5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.0	5.5	5.5	5.4	3.6
आंध्र प्रदेश	16.3	14.7	12.5	15.5	9.7
अरुणाचल प्रदेश	11.7	16.9	19.3	18.3	13.0
असम	20.3	29.5	25.1	17.5	14.3
बिहार	20.5	29.5	25.6	6.9	9.0
चंडीगढ़	0.0	1.1	2.9	2.0	1.3
छत्तीसगढ़	9.7	18.2	16.3	15.3	16.1
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9.5	18.8	18.7	12.5	12.4
दिल्ली	4.8	7.3	10.4	7.5	7.1
गोवा	9.0	8.8	8.1	9.3	6.4
गुजरात	17.9	23.3	21.0	16.9	15.7
हरियाणा	5.9	15.4	13.8	6.6	5.4
हिमाचल प्रदेश	1.5	6.7	4.9	6.2	5.6
जम्मू और कश्मीर	6.0	9.0	13.4	12.9	11.6
झारखंड	9.3	25.7	15.2	3.5	6.6
कर्नाटक	14.7	14.9	22.1	18.3	18.1
केरल	5.5	6.7	3.4	4.8	4.1
लद्दाख	4.9	11.6	19.8	16.2	16.8
लक्षद्वीप	0.0	9.8	2.6	4.1	2.6
मध्य प्रदेश	10.1	21.4	17.7	16.8	13.0
महाराष्ट्र	10.7	16.0	10.1	11.5	9.0
मणिपुर	1.3	13.5	15.3	9.1	8.6
मेघालय	21.7	28.9	22.0	17.4	6.7
मिज़ोरम	11.9	24.0	14.8	17.4	9.3
नागालैंड	17.5	21.5	11.6	12.1	13.3
ओडिशा	27.3	17.7	12.8	15.0	13.7
पुदुचेरी	6.3	7.5	7.8	5.9	2.9
पंजाब	17.2	9.7	6.0	6.2	5.6
राजस्थान	7.7	11.9	11.1	7.7	8.8
सिक्किम	11.9	15.4	19.0	11.4	13.1
तमिलनाडु	4.5	10.3	7.7	8.5	6.2
तेलंगाना	13.7	11.6	11.4	13.2	5.8
त्रिपुरा	8.3	17.9	10.4	11.3	10.4
उत्तर प्रदेश	9.7	14.7	8.7	7.0	8.4
उत्तराखंड	5.0	8.4	7.0	4.6	6.1
पश्चिम बंगाल	18.0	8.5	17.8	20.0	5.5

स्त्रोत: **यूडाइज़+**